न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्जवल राठौड़, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 74 / 2020 (Bank Case)
GCMS No. 2020/00199

"एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड"(जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स (इण्डिया) लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान में स्थित है ।

– प्रार्थी / सिक्योरक्रेडिटर

बनाम

1. श्री वैदप्रकाश नामा पुत्र श्री घनश्याम नामा
   पता– 761, खान सातलखेडी, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान–326519
   द्वितीय पता – खसरा नम्बर 234, ग्राम सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान
2. श्रीमति दुर्गेश नन्दानी पत्नि श्री वैदप्रकाश
   पता– 761 खान सातलखेडी, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान– 326519

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 13.01.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है "एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड"(जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स (इण्डिया) लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था जिसका पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान में स्थित है से अप्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 08.08.2016 को रूपये 10,00,000 / –(अक्षरेः रूपये दस लाख, मात्र) का ऋण लिया था अप्रार्थी सं0 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति आवासीय खसरा नम्बर 234, ग्राम सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान जिसका कुल क्षैत्रफल 841 स्क्वायर फुट है, जिसकी चतुर्थ सीमा– पूर्व में– श्रीराम का मकान, पश्चिम में–जगदीश शर्मा का मकान, उत्तर में–रास्ता, दक्षिण में– हेमराज का मकान है, जो जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.08.2016 से वेद प्रकाश नामा पुत्र घनश्याम जाति छीपा के नाम है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक. 10.01.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि 9,89,187 / – (अक्षरे रूपये नौ लाख, निवासी हजार, एक सौ, सत्यासी मात्र) बकाया रकम दिनांक 14.02.2020 तक शेष देय है व दिनांक 15.02.2020 आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 17.02.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 17.02.2020 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 17.02.2020 को नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति आवासीय खसरा नम्बर 234, ग्राम सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान जिसका कुल क्षैत्रफल 841 स्क्वायर फुट है, जिसकी चतुर्थ सीमा– पूर्व में– श्रीराम का मकान, पश्चिम में–जगदीश शर्मा का मकान, उत्तर में–रास्ता, दक्षिण में– हेमराज का मकान है, जो जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.08.2016 से वेदप्रकाश नामा पुत्र घनश्याम जाति छीपा के नाम है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश प्रभान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 13.01.2021 को सुनाया गया ।

13/1/21

(उज्जवल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)